न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 28/2010 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2010/00012

1. गुलाम खां
2. इमाम सेन
3. बेबी सेन
4. बक्खा

} पिसरान यारा खां जाति मुसलमान निवासी 5 ए. छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. फाजल खां पुत्र यारा खां जाति मुसलमान निवासी 15 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुतुबे खां
3. आदिल खां
4. कासम अली
5. सरदारा

} पुत्रगण यारा खां जाति मुसलमान निवासी 5 ए. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. ग्राम पंचायत गारबदेसर जरिये सरपंच, लूनकरणसर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री सन्तनाथ योगी	अभिभाषक अपीलांट
	श्री राजेश बैद	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
	मोहम्मद इम्तियाज अली	राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः	श्री रामदेव गहलोत	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3
	श्री किशनलाल भादू	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5
	श्री दाऊलाल हर्ष	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय

दिनांक 21.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 24.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि मौजारोही गारबदेसर तहसील लूनकरणसर के खसरा नंबर 460 तादादी 35 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 70 तादादी 70 बीघा 12 बिस्वा कुल 106 बीघा 7 बिस्वा अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के पिता यारा खां

के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के पिता यारा खां की मृत्यु दिनांक 16.03.2006 को हो जाने पर उक्त वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 1947 दिनांक 05.03.2007 को ग्राम पंचायत गारबदेसर द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 6 द्वारा दर्ज उक्त इंतकाल संख्या 1947 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2010 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के पिता यारा खां के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। अपीलांट के पिता यारा खां की मृत्यु दिनांक 16.03.2006 को हो जाने पर उक्त वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 1947 दिनांक 05.03.2007 को ग्राम पंचायत गारबदेसर द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता ने किसी भी प्रकार की कोई वसीयत नहीं लिखी और न ही कोई लिफाफा कस्टडी हेतु सुरक्षित रखा। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील मियाद बाहर थी और न ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने की इजाजत प्राप्त की। उक्त दोनों कानूनी बिन्दुओं को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में भूल की हैं। अपीलांट के पिता उक्त तमाम कृषि भूमि की वसीयत कानूनन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुन्नी मुसलमान अपनी जायदाद का 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में लिखा है कि वसीयत के आधार पर इंतकाल का शीघ्र निस्तारण करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति ना हो। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को सही मान लिया जबकि वसीयत को सही अथवा गलत की जांच सिविल न्यायालय ही कर सकता है। वादगत भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में हैं। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 का अनुतोष एक ही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2010 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 1947 को बहाल रखा जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत सम्पति यारा खां पुत्र गहणा के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि थी, जिसकी एक रजिस्टर्ड व लिफाफा बन्द वसीयत फाजल खां के पक्ष में निष्पादित की गई,

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
संभागीय आयुक्त बीकानेर

जो दिनांक 13.09.2004 को कस्टडी में रखी गई। यारा खां का दिनांक 16.03.2006 को देहान्त हुआ, तत्पश्चात् दिनांक 28.03.2006 को वसीयत को खोला गया तथा उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय तहसीलदार लूनकरणसर में दिनांक 27.09.2006 को प्रार्थना पत्र देकर प्रारंभ की गई, जिसके विचाराधीन रहते ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.03.2007 को विरासतन नामन्तरण संख्या 1947 स्वीकृत कर दिया, जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने सही निरस्त किया है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 निर्वसीयती मृत्यु पर ही उतराधिकार दर्ज करने की अनुमति देता है। साथ ही भूमि पैतृक होने का कथन अपीलांट द्वारा मुस्लिम विधि के विरूद्ध किया है तथा इसे साबित भी नहीं किया है। वैसे मुस्लिम विधि के अनुसार धारक का हक व हिस्सा पूर्ण व निहित होता है। "पैतृक भूमि की अवधारणा मुस्लिम विधि मे नहीं है।" साथ ही वसीयत में इस सम्पति के अलावा ओर सम्पतियां होने व अन्य संतानों को देने का हवाला है। इस प्रकार 1/3 हिस्से की अवधारणा भी प्रमाण में लागू नहीं होती। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2010 पारित करते हुए विरासतन दर्ज इंतकाल संख्या 1947 आदेश दिनांक 05.03.2007, जिसकी पालना में उक्त विरासतन इंतकाल दर्ज हुआ है, को खारिज कर दिया। तहसीलदार लूनकरणसर के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही जैरकार रहते हुए ग्राम पंचायत गारबदेसर ने विरासतन इंतकाल स्वीकृत कर दिया; जो कि न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2010 उचित एवं सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2010 यथावत रखा जाता हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर